लोकतंत्र का सूत्रधार – निर्वाचन आयोग

पवन कुमार
राजसं., रूड़की

भारतीय लोकतंत्र को दुनिया के अन्य देशों में बेहद विस्मय, विलक्षण और कई बार ईर्ष्या की दृष्टि से देखा जाता है। इसका कारण यह है कि अपनी तमाम विविधताओं, भाषाई-सामाजिक अनेकता और अपने पड़ोसी राष्ट्रों के अधिनायकवाद, तानाशाही के हावी रहने के बावजूद हमने लोकतंत्र को न केवल अंगीकार किया है बल्कि बखूबी उसका निर्वहन भी किया है। कहते हैं भारत पर्वों का देश है। हमारा प्रजातंत्र भी ऋतुओं पर आधारित पर्वों से तदाकार हो गया है। जिस प्रकार हम अपने पर्वों को वर्ष भर मनाते हैं उसी तरह हमारे यहाँ पूरे वर्ष कोई न कोई चुनाव हो रहा होता है या इसकी कोई तैयारी चल रही होती है या चुनाव आने वाला होता है। चाहे आम चुनाव हो, मध्यवर्ती चुनाव या फिर उप चुनाव। एक निश्चित समय के लिए जनता द्वारा राजनैतिक दलों को देश-राज्य चलाने का हक देने की एक रायशुमारी को निष्पक्ष और निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराये जाने की जिम्मेदारी है भारत के निर्वाचन आयोग पर।

निर्वाचन आयोग की स्थापना

भारत के संविधान के अन्तर्गत 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गयी थी। यह एक स्थायी स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। इनके कार्य और अधिकार क्षेत्र में भारत के संविधान ने संसद, प्रत्येक राज्य विधान मंडल तथा भारत के राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन के संचालन की समस्त प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित किया है। यह कार्यपालिका के हस्तक्षेप से पूर्णतया रहित निकाय है। इसे निर्वाचन संबंधित विवादों तथा निर्वाचन प्रक्रिया के नियंत्रण के संदर्भ में अर्ध-न्यायिक अधिकार प्राप्त है। निर्वाचन आयोग पर चुनाव प्रक्रिया की योजना बनाने तथा उसे अमल में लाने का जिम्मा होता है। आचार संहिता लागू होने से लेकर परिणाम आने तक आयोग को यह अधिकार होता है कि वह केन्द्र व राज्यों की मशीनरी व सुरक्षा बलों का विवेकानुसार इस्तेमाल करे।

इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग पर चुनाव क्षेत्रों के सीमांकन, मतदाता सूची तैयार कराने, राजनीतिक दलों और उनके चुनाव क्षेत्रों के सीमांकन, मतदाता सूची तैयार कराने, राजनैतिक दलों और उनके चुनाव चिन्हों को मान्यता देने नामांकन पत्रों की जॉच करने और उम्मीदवारों के खर्चे पर नियंत्रण रखने का दायित्व होता है। मतदान केन्द्रों तथा मतदान केन्द्रों की स्थापना तथा उनके बाहरी और आंतरिक प्रबन्धों का जिम्मा भी आयोग पर होता है। आयोग दलों के आन्तरिक लोकतंत्र कायम रखने के लिए भी संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखता है। आयोग प्राप्त मत प्रतिशत के आधार पर राजनैतिक दलों के राष्ट्रीय या क्षेत्रीय होने का भी अधिकार रखता है।

निवार्चन आयोग के संचालन का जिम्मा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त/आयुक्तों पर होता है। स्थापना के बाद से वर्ष 1989 तक इसमें केवल एक निर्वाचन आयुक्त का ही प्रावधान था। तत्पश्चात् अक्टूबर, 1989 से 1 जनवरी, 1990 के मध्य दो और निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। बाद में भारतीय संसद ने 1993 में कानून पारित कर इसे स्थायी तौर पर तीन सदस्यीय निकाय में तब्दील कर दिया। इसके अन्तर्गत आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनके वेतन व भत्ते सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आयोग के बजट को वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाता है। वित्त आयोग सामान्य तौर पर आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बजट को स्वीकार कर लेता है। चुनाव के संचालन पर हुआ व्यय केन्द्र-राज्यों के बजट में दर्शाया जाता है। यदि चुनाव संसद के हों तो उसका व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यदि निर्वाचन विधान मंडल का है तो खर्च संबंधित राज्य द्वारा वहन किया जाता है ।

- लोकतंत्र सफल रहेगा तो विकास अपने आप होगा यह तभी सफल रह सकता है, जब अधिक से अधिक मतदाता वोट देने जाएं। अगर 80 प्रतिशत मतदाता भी वोट देते हैं तो लोकतंत्र को कामयाब बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमारे 30 प्रतिशत वोट अनपढ़ जरूर हैं लेकिन अविवेकी नहीं हैं, वे जानते हैं कि कौन प्रत्याशी और कौन सा दल उनके लिए अच्छा है या बुरा।

निर्वाचन आयोग ने विगत कुछ वर्षों में प्रशासन की महज एक शाखा से अपने को एक सम्पूर्ण संस्था के रूप में रूपान्तरित कर लिया है। चुनावी प्रक्रिया के इस अनुष्ठान को शक्ति सम्पन्न करते हुए, श्री टी.एन. शेषण, जिन्होंने निर्वाचन आयोग को सुर्खियों में ला दिया, उनकी सकारात्मक भूमिका हमेशा विचारणीय रही है। सन् 1990–96 के दौरान श्री शेषण भारतीय राजनीति के क्षितिज पर सर्वाधिक चर्चित व्यक्तित्व रहे और इस प्रकार उन्होंने परम्परागत रूप से गौण रही संस्था को संवार कर उसे एक सम्पूर्ण रूप प्रदान कर दिया।

आज चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया में राजनीति का अपराधीकरण कैसे रोका जाये और मतदाताओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए जैसे विषय पर मन्थन करने की आवश्यकता है । निर्वाचन आयोग को निम्न बिन्दुओं पर अंकुश लगाना चाहिए:

- चुनाव लड़ने से अपराधियों को रोके, संगीन अपराधों में सजा होने पर सांसदो, विधायकों को अयोग्य ठहराया जाए।
- राजनीति का अपराधीकरण लोकतंत्र के लिए घातक है।
- मतदाता कार्ड ही युवाओं के अधिकार समपन्न होने का सही सबूत है।
- वोटर स्लिप बॉटने की जिम्मेदारी आयोग की हो। घोषणा होते ही सभी चुनाव सर्वेक्षणों पर रोक लगे ।
- भ्रष्टाचार के विरूद्ध वोट सबसे सशक्त हथियार है।
- बुद्धिमता पूर्ण वोटिंग में ही अच्छी व्यवस्था बनाने की सामर्थ्य।
- युवाओं में जोश भरने के लिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाए।

राजनीति का अपराधीकरण रोकने में चुनाव आयोग लाचार रहा है। इसके लिए बहुत हद तक उसे जिम्मेदार ठहराना भी ठीक नहीं है। इसलिए उसे तो मौजूदा कानूनों के दायरे में ही रह कर काम करना पड़ता है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि चुनाव आयोग उम्मीदवारों की अपराधिक पृष्ठ भूमि को जाहिर करने के लिए बाध्य करने में सफल रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि दागियों के टिकट काट देने को लेकर राजनैतिक दलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। राजनैतिक दलों के लिए जातीय से लेकर तमाम वे समीकरण ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करने के लिए बाध्य करते हैं जिनका जीत कर आना हर हाल में निश्चित हो। फिर भी यह संतोष की बात है कि पिछले 60 सालों की यात्रा में चुनाव आयोग बेहद निष्पक्ष रहा है और उसने प्रायः सभी चुनावों में मतदाताओं को अपने वोट का प्रयोग करने हेतु भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास किया है ।